

20/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील जागी अनुपस्थित। प्राची रॉससजि
मूल जाद पत्र अफम पेंखी अफम हाजरी में खासिज किया
जा चुका है। प्रा. पत्र चलावे का औचित्य नहीं है। अतः
प्रा. पत्र अफम पेंखी / अफम हाजरी में खासिज किया जाता है।
मिसल फेंसल शुमार होकर त्तर से काम की जाकर दायित्व
दफतर हो।

